Dhanauri International Journal of Multidisciplinary Research (DIJMR)

Volume 1 Issue 2,December (2025)
ISSN: 3107-9563 (online)
doi.org/10.5281/zenodo.18271467

जनपद हरिद्वार के आर्थिक विकास पर भूमि उपयोग के प्रभाव का मूल्यांकन : एक पर्यावरणीय अध्यय

डा0 पंकज कुमार,*डा० आनन्द प्रकाश**

*सहायक आचार्य, भूगोल विभाग जे०वी० जैन पी0जी0 कालेज, सहारनपुर, उ0प्र0

**सहायक आचार्य, भूगोल विभाग धनौरी पी0जी0 कॉलेज, धनौरी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सारांशः– भूमि मानव का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जो कृषि सहित सभी विकास कार्यों को मूलभूत आधार प्रदान करता है। भूमि पर ही मानव विभिन्न क्रिया कलाप करता है। अतएव भूमि उपयोग का विश्लेषण अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। वस्तुतः भूमि उपयोग पर्यावरणीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तनशील पक्ष है, जो प्रारम्भिक काल से ही मानव प्रविधि विकास क्रम के अनुसार परिवर्तित होता रहा है। भूमि उपयोग न केवल कृषि के क्षेत्र में अपितु औद्योगिक विकास, नगरीय विकास, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र जनपद हरिद्वार का भूमि उपयोग, एतिहासिक घटनाओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ–साथ आर्थिक शक्तियों की अन्तक्रियाओं तथा समाज के मूल्यों के समूच्य का प्रतिफल है, यहाँ क्षेत्र के भौगोलिक वितरण एवं प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे पर्यटन और औद्योगिक विकास ने भूमि उपयोग का परवर्तित स्वरूप प्रस्तुत किया है। विकास की अन्धाधुन्ध दौड़ तथा मानवीय क्रिया कलापों के विविधिकरण के कारण जनपद हरिद्वार में भूमि के लिये स्पर्धा में तेजी से वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरूप यहाँ अनुकूल स्थानों पर जनसंख्या सकेन्द्रण, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाओं का गहनीकरण हुआ है। जिसने जनपद हरिद्वार के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाई है।

संकेत शब्दः– भूमि उपयोग, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण

अध्ययन क्षेत्र का परिचयः– जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड राज्य के दक्षिणी–पश्चिमी भाग में स्थित है। यह शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हरिद्वार को हिन्दुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 2360 वर्ग किमी0 है। इसका विस्तार $29^{0}35'$ उत्तरी अक्षांश से $30^{0}08'$ उत्तरी अक्षांश तथा $77^{0}52'$ पूर्वी देशान्तर से $77^{0}57'$ पूर्वी देशान्तर के बीच मिलता है। जनपद की समुद्र तल से ऊँचाई 249.7 मीटर है। वर्ष 2011 के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 1890422 है, तथा जनसंख्या घनत्व 801 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० है।

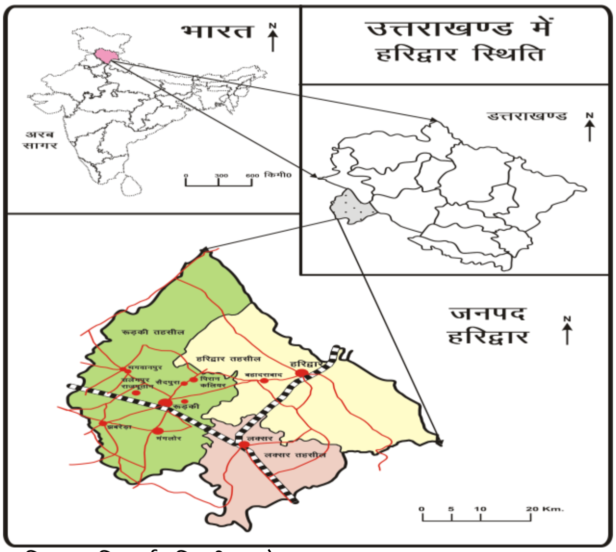

मानचित्र-1: हरिद्वार जनपदकाअवस्थिति मानचित्र

Corresponding author email: anand3373@outlook.com
Published online-17 January 2026

अध्ययन का उद्देश्यः—

1. अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग द्वारा निरन्तर हो रहे पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करना एवं भूमि उपयोग का विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव का मूल्यांकन।
2. अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक एवं पर्यटन विकास के संदर्भ में भूमि उपयोग का अध्ययन करना एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप द्वारा क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक उन्नति एवं समस्याओं के समाधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण अध्ययन आदि।

विधि—तन्त्रः— प्रस्तुत शोध पत्र के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने व कार्य योजना को साकार रूप देने कें लिए निम्न दो प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया गया है।

1. प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण द्वारा एकत्रित ऑकड़े जो शोधकर्ता द्वारा स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष रूप से भूमि उपयोग से सम्बन्धित जानकारियों को एकत्र किया गया है।
2. द्वितीयक स्त्रोत में अनेक प्रकार के संकलित एवं प्रयोगार्थ स्त्रोतों में समाचार पत्र, पत्रिकाओं सांख्यिकीय पत्रिकाओं, सामाजिक, आर्थिक समीक्षाओं, जनगणना पुस्तिका एवं इन्टरनेट के विभिन्न अध्यायों से प्राप्त ऑकड़ों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

भूमि उपयोगः—भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके द्वारा मानव अपने जीवन के उच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। भूमि उपयोग वास्तव में अन्तनिर्हित भूमि के उपयोग का विशिष्ठ रूप है। मानव अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि का उपयोग करता है। जनपद के भूमि उपयोग में गत वर्षो में अनेक परिवर्तन देखने को मिले है।

1. वनों के अन्तर्गत भूमिः—जनपद में वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल गत वर्षो में स्थिर नहीं रहा हैं। इसका विस्तार प्रमुखतया शिवालिक पहाड़ियों पर पया जाता है। कुल भूमि का 34.48 प्रतिशत भूभाग वनों से आवृत्त है। जनपद के कुल वनों का 21927 हैक्टेयर भूभाग बहादराबाद व लक्सर विकासखण्डों में वितरित मिलता है। यह क्षेत्र जनपद के कुल वनों का 92 प्रतिशत है। इनका पश्चिमी व दक्षिणी भाग शिवालिक वनों से आच्छादित है। गंगा नदी से सटे विकासखण्डों में भी वनों का विस्तार अल्प क्षेत्र पर मिलता है। रूड़की व नारसन विकासखण्डों में वनों का भूभाग नगण्य है। भगवानपुर व खानपुर विकासखण्डों में तो वनों का भूभाग 1888 हैक्टेयर, लक्सर विकासखण्ड के वनों के क्षेत्र से भी कम है।

2. कृषि योग्य भूमिः—हरिद्वार जनपद में इस भूमि के क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने में आया है, 2010—11 में इसका क्षेत्रफल 1890 हैक्टेयर था, जो 2014—15 में घटकर 1738 हो गया था। 2018—19 में 1682 हैक्टेयर हो गया है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.68 प्रतिशत है। सभी विकासखण्डों में इस भूमि की उपस्थिति मिलती है। सबसे अधिक क्षेत्रफल 513 हैक्टेयर लक्सर विकासखण्ड में तथा सबसे कम क्षेत्रफल 106 हैक्टेयर नारसन विकासखण्ड में मिलती है।

3. परती भूमिः— जनपद में इस प्रकार की भूमि के क्षेत्रफल में गत वर्षो में वृद्धि हुई है। 2006—07 में इसका क्षेत्रफल 6053 हैक्टेयर था, जो 2010—11 में 6496 हैक्टेयर, 2014—15 में 8022 हैक्टेयर तथा 2018—19 में बढ़कर 8398 हैक्टेयर तक पहुॅच गया। यह जनपद के कुल क्षेत्रफल का 3.44 प्रतिशत है। इसमें अन्य परती की तुलना में वर्तमान परती भूमि का क्षेत्रफल अधिक है। 2018—19 में अन्य परती भूमि 4024 हैक्टेयर तथा वर्तमान परती भूमि 4374 हैक्टेयर है। परती भूमि का वितरण सभी विकासखण्डों में मिलता है। बहादराबाद व भगवानपुर में इनका क्षेत्रफल क्रमशः 2819 व 1623 हैक्टेयर मिलता है, जबकि रूड़की व लक्सर में इनका क्षेत्रफल क्रमशः 1445 व 1030 हैक्टेयर मिलता है।

4. ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमिः— जनपद में ऊसर एवं कृषि उपयोग्य भूमि का वितरण लगभग सभी विकासखण्डों में मिलता है। उपपहाड़ी, पहाडी व भावर प्रदेश पर विस्तृत विकासखण्ड इसका अधिक विस्तार रखते है। 2006—07 में कृषि अयोग्य भूमि 2373 हैक्टेयर थी, जो 2018—19 में कृषि अयोग्य भूमि 2881 हैक्टेयर हो गया है। जनपद के कुल क्षेत्रफल के 1.18 प्रतिशत भूभाग पर इसका विस्तार मिलता है। नारसन व बहादराबाद विकासखण्डों में इनका क्षेत्रफल सबसे अधिक क्रमश 792 व 593 हैक्टेयर है। सबसे कम कृषि अयोग्य भूमि खानपुर विकासखण्ड में क्षेत्रफल केवल 312 हैक्टेयर है।

5 कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमिः—जनपद में बस्तियों के आकार में वृद्धि तथा नगरीय केन्द्रों के उभरने के कारण इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल निरन्तर बढ़ रहा है। 2006—07 में इसका क्षेत्रफल 27330 हैक्टेयर था, 2010—11 में

इसका क्षेत्रफल 2731 हैक्टेयर, 2014–15 में इसका क्षेत्रफल 29525 हैक्टेयर था, जो बढ़कर 2018–19 में 31226 हैक्टेयर तक पहुँच गया। जनपद की कुल भूमि में इसकी भागीदारी 12.79 प्रतिशत है। यह भागीदारी कृषित भूमि के बाद दूसरा स्थान रखती है। विकासखण्डों में इसका वितरण असमान है।

तालिका सं0 01 जनपद हरिद्वार में भूमि उपयोग (हैक्टेयर में)

क्रम	भूमि उपयोग	2006.07	%	2010.11	%	2014.15	%	2018.19	%
1	वन क्षेत्र	72431	31.33	845311	34.76	72431	31.11	84140	34.48
2	कृषि योग्य बंजर भूमि	1641	0.71	1890	0.77	1738	0.74	1682	0.68
3	परती	6053	2.61	6496	2.67	8022	3.44	8398	3.44
(अ)	वर्तमान परती	2487	1.07	2741	1.12	4675	2.00	4374	1.79
(ब)	अन्य परती	3566	1.54	3755	1.54	3347	1.43	4024	1.64
4	उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि	2373	1.02	2731	1.12	3391	1.45	2881	1.18
5	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग	27330	11.82	27834	12.44	29525	12.68	31226	12.79
6	चारागाह	58	0.02	75	0.03	66	0.02	63	0.02
7	उधान, वृक्षों, बांग, झाडियों का क्षेत्रफल	879	0.38	1600	0.65	1543	0.66	1535	0.62
8	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	120350	52.07	117988	48.52	116082	47.86	114077	46.75
9	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	47004	20.33	48942	20.12	45599	19.58	46417	19.02
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल		231114	100	243151	100	232798	100	244002	100

स्रोत:–सामाजार्थिक समीक्षा जनपद हरिद्वार (2006–19)

6 चारागाहः–जनपद में चारागाह के अन्तर्गत भूमि का महत्व सबसे कम है। यहाँ पर 2006–07 में 58 हैक्टेयर पर चारागाह थे, जो 2018–19 में बढ़कर 63 हैक्टेयर हो गए। यहाँ पर 63 हैक्टेयर अर्थात जनपद की कुल भूमि का 0.02 प्रतिशत पशु–चारण के लिए उपलब्ध है। इसके क्षेत्रफल में गत वर्षो में परिवर्तन देखनें में आते है। बांगर भूमि का विस्तार रखने वाले विकासखण्डों में इस भूमि की उपस्थिति अंकित की जा सकती है। खानपुर, भगवानपुर व रूड़की विकासखण्ड जनपद की कुल चारागाह भूमि का 68.25 प्रतिशत भाग रखते है।

7 उधान व बागातों के अन्तर्गत लगी भूमिः–जनपद में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल 1535 हैक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.62 प्रतिशत है। इनका वितरण उन विकासखण्डों में अधिक मिलता है, जो उपपहाड़ी व भावर भूमि पर अपना विस्तार रखते है। बहादराबाद व भगवानपुर विकासखण्डों में यह 1051 हैक्टेयर भूमि पर विस्तृत है, जो जनपद की कुल बागात भूमि का 68.46 प्रतिशत है। बांगर व खादर प्रदेश पर विस्तृत विकासखण्डों में इसका विस्तार कम है। इस जनपद के बागात आम, अमरूद, लोकाट, लीची, रामफल जैसे फलों के लिए पहचाने जाते है।

8 शुद्ध बोया गया क्षेत्रफलः–यह फसलों और बागों के साथ बोए गए कुल क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही वर्ष में एक से अधिक बार बोए गऐ क्षेत्र की गणना केवल एक बार की जाती है। 2006–07 में यह क्षेत्रफल 120350 हैक्टेयर था, जो 2018–19 में घटकर 114077 हैक्टेयर हो गया। यह जनपद के कुल क्षेत्रफल का 46.75 प्रतिशत है। सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बहादराबाद विकासखण्ड में 23911 हैक्टेयर दर्ज किया गया, इसके बाद भगवानपुर में 23368 हैक्टेयर व जनपद में सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल खानपुर विकासखण्ड में 10838 हैक्टेयर है।

9 एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रः–जनपद में यह क्षेत्र 2006–07 में 47004 हैक्टेयर था, 2010–11 में 48942 हैक्टेयर, 2014–15 में 45599 हैक्टेयर तथा 2018–19 में 46417 हैक्टेयर हो गया, जो कुल क्षेत्रफल का 19.02 प्रतिशत है। बहादराबाद विकासखण्ड में सबसे अधिक 10435 हैक्टेयर है। जनपद कृषि प्रधान है। हरिद्वार जनपद में गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, मसूर, उर्द, चना, लाही, मूंगफली, आलू एवं तम्बाकू की मुख्य फसलें है। जो क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गत वर्षो में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल घटा है।

भूमि उपयोग का आर्थिक विकास पर प्रभावः–प्रस्तुत शोध पत्र में प्रमुख आर्थिक पहलु जिनमें कृषि, उद्योग और पर्यटन जो तीनों ही जनपद के आर्थिक विकास की रीढ़ है, पर जनपद के वर्तमान भूमि उपयोग के प्रभावों का वर्णन करते हुये उक्त कारणों द्वारा भूमि उपयोग में हो रहे निरन्तर पर्यावरणीय परिवर्तन को जानने का प्रयास किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

1. कृषि विकास पर प्रभावः–जनपद हरिद्वार में कृषि भूमि उपयोग का आर्थिक कारक प्राकृतिक कारकों की ही तरह कृषि विकास को प्रभावित करते है। किसी भी क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रारूप वहाँ की कृषि व्यवस्थाओं एवं आर्थिक तन्त्र पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कृषकों का आर्थिक विकास भी कृषि उत्पादित वस्तुओं पर ही आश्रित है। इस प्रकार अर्थतन्त्र का प्रभाव कृषि विकास पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज की कृषि विकास से आर्थिक सम्पन्नता या समृद्धि की प्राप्ति होती है। आर्थिक समृद्ध के फलस्वरूप प्रत्येक कृषक उन्नत शील बीज सिंचाई के साधनों की प्राप्ति उर्वरक कृषि से सम्बन्धित उपकरण आदि के द्वारा कृषि भूमि का विकास आर्थिक दृष्टि से किसी समाज को समृद्ध विकास कर सकता है। अध्ययन क्षेत्र हरिद्वार जनपद में कृषि भूमि उपयोग का आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों, कृषि भूमि उपयोग का विश्लेषण भूमि उपयोगिता के आधार पर वन भूमि, कृषि भूमि, परती भूमि, कृष्य अयोग्य भूमि, चारागाह भूमि, वन–झाड़ियाँ, ऊसर भूमि, वर्तमान परती के द्वारा विश्लेषण किया गया है। उपरोक्त भूमि उपयोग के आधार पर जनपद की मुख्य फसलें और उनका प्रति हैक्टयर उत्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है।

2. उद्योग पर प्रभावः–जनपद की अर्थव्यवस्था में उद्योग का प्रमुख स्थान है। जनपद के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न अभिकरणों द्वारा यथासम्भव वित्तीय संसाधन सुलभ कराये जाने के साथ ही जनपद में अनुकूल औद्योगिक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से उत्साहित उद्यमियों की एक ही स्थान पर समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उद्योग बन्धु की स्थापना की गई है। औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनुकूल वातावरण सृजित करने तथा उद्यमियों के बहुमूल्य समय का सदप्रयोग उत्पादन वृद्धि हेतु केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत एकल खिडकी सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था का प्राविधान किया गया हैं जनपद में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शुकवार को उद्योगों हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों एवं अनुज्ञापत्रों इत्यादित के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एवं आवेदन पत्र तथा इनका निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके तथा वांछित स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से जारी की जा सके।

भारत की संसद द्वारा पारित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम– 2006 दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 से लागू किया गया है। जिसके तहत जनपद स्तर से उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत रू0 10.00 करोड तक प्लांट मशीनरी में पूंजी निवेश तथा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रू0 5.00 करोड तक प्लांट मशीनरी में पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों के लिए अनुज्ञापन महाप्रबन्धक द्वारा जारी किया जाता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की इकाइयों हेतु अनुज्ञापन करना ऐच्छिक है। भारत सरकार द्वारा राज्य को विशेष औद्योगिकरण दर्जा दिये जाने के कारण के क्षेत्र में अशातीत प्रगति हुई है तथा जनपद में कई औद्योगिक समूहों के द्वारा इकाईयाँ स्थापित की जा रही हैं। इस अवसर का लाभ उठाने हेतु जनपद के युवा उद्यमियों में उद्यमिता का विकास करना आवश्यक है। जिससे युवा पीढ़ी नौकरियों की तलाश में पलायन करके अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में अधिक रूचि लें। इस हेतु जनपद में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। भारत सरकार ने दिनांक 31.03.2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना का सचालन करने हेतु नोडल ऐजेन्सी के रूप में राज्य निदेशक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को नामित किया गया है। जिला उद्योग मित्र योजना के अन्तर्गत जनपद में औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिसमें औद्योगिक संगठनों/उद्यमियों द्वारा इकाइयों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया जाता है। सम्भवतः समस्याओं का निराकरण सम्बन्धित विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

जनपद स्तर पर सूक्ष्म, लघु उद्यम/बुनकरों/हस्तशिल्पियों को उनके श्रेष्ठ उत्पाद पर प्रत्येक श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय पुरूस्कार दिये जाते है। जिन उद्यमियों को जिला स्तर पर प्रथम पुरुस्कार प्रदत्त किया जाता है। उन्ही नमूनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु उद्योग निदेशालय देहरादून को प्रेषित किया जाता है। जनपद में स्थापित उद्योगों हस्तशिल्पियों एवं हथकरघा कारीगरों द्वारा उत्पादित उत्पादों को

प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार करने हेतु लगने वाले मेलों/प्रदर्शनियों हाटो तथा ट्रेडफेयर में हथकरघा कारीगरों/हस्तशिल्पियों तथा उद्यमों को अपना माल प्रदर्शित/बिक्री करने हेतु निःशुल्क या आंशिक रूप से किराया भुगतान कर सुविधा प्रदान की जाती है।

तालिका सं0 2ग्रामीण तथा लघु उद्योग

क्रम	वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	खादी उद्योग/ ग्रामीण उद्योग ईकाई	2004	2073	2137	2186	2235	2313	2350	2365
2	लघु औद्योगिक ईकाई	438	7354	7834	8345	8880	9443	10057	10735

कारखाने

क्रम	वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	कारखानों की संख्या	1138	1901	1304	1347	1347	1191	1232	1428
2	कार्यरत कर्मचारी	143780	211588	213988	214103	214103	292979	298789	327402

स्रोतः–जिला सांख्यिकीय पत्रिका हरिद्वार (2012–2020)

3. पर्यटन पर प्रभावः–जीवन दायनी, मोक्ष प्रदायनी, पतित पावनी माँ गंगा नदी के उदगम स्थल गोमुख–गंगोत्री से करीब 300 किमी0 नीचे समतल में माँ गंगा की धारा के किनारे व दाहिने तट पर बसे हरिद्वार, जहाँ एक और उत्तराखण्ड के चार पवित्र धामों के लिये प्रवेश द्वार है. वहीं पुराणों में चर्चित गंगा द्वार के नाम से प्रख्यात यह नगर देव नदी मॉ गंगा के लिये प्रथम समतल भूमि प्रदान करता है। शिवालिक पर्वत माला के छोर पर "विल्व" पर्वत और नील पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा यह छोटा सा खूबसूरत नगर अपनी प्राकृतिक सुषमा मनोहरी गंगा–तटों, वहाँ होने वाली पूजा एवं आरतियों के सुन्दर नयनाभिराम दृश्यों, शिवालिक वन और पहाड़ों वाली प्राकृतिक विरासत, मन्दिर, आश्रम और अखाडों के कारण यह प्रचीन काल से व्यापारी, घुमक्कड़ों, तीर्थ यात्रियों और माँ गंगा के भक्तों को अपनी ओर आकृर्षित करता है। यहाँ प्रत्येक बारहवें वर्ष कुम्भ व छठे वर्ष अर्द्ध कुम्भ के स्नान होते हैं। इन पर्वों में करोड़ों लोग स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं।जनपद हरिद्वार में स्थित जिला स्तरीय कार्यालय के अधीन रेलवे स्टेशन हरिद्वार एवं राही मोटल में यात्रियों/ पर्यटकों के सुविधार्थ सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है। ग्रेट ग्रीनविस्टा परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों के अन्तर्गत हरकी पैड़ी के सामने मुख्य हाईवे मार्ग के किनारे धोबी घाट के समीप एक आधनिक एवं सुव्यवस्थित पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर यात्रियों/ पर्यटकों के सुविधार्थ जनउपयोग में संचालन प्रारम्भ किया गया। यात्रियों/पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ललतारों पुल से ले कर हरकी पैड़ी तक गंगा के किनारे स्थित घाटों का अलकनन्दा घाट की भॉति जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्गीकरण की गत वर्ष से संचालित रू0 106.00 लाख की परियोजना को पूर्ण करवाकर जनउपयोग में संचालन किया गया। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा क्रियान्वित एवं महत्वकाक्षी रोजगारपरक वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को पर्यटन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं तथा वाहन क्रय करने, 8–10 कक्षीय मोटलनुमा आवासीय इकाई की स्थापना करने, मोटर गैराज/ वर्कशाप निर्माण, फास्टफूड सेन्टर की स्थापना, साधना कुटीर/योग ध्यान केन्द्र की स्थापना, सोवोनियर शाप, साहसिक क्रिया कलापों हेतु उपकरणों का क्रय, पी0सी0ओ0 युक्त पर्यटन सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट तथा आवासीय सुविधाओं का विकास करने हेतु उनके द्वारा आवेदित योजना लागत के सापेक्ष 25 प्रतिशत (जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5.00 लाख नियत है) अनुदान धनराशि का भुगतान आवेदक को योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त उसके वित्त पोषित बैंक को किया जाता है।जनपद हरिद्वार में पर्यटकों के ठहरने हेत् 02 पर्यटन आवास गृह, 425 होटल तथा पेइंग गेस्ट हाऊस एवं 275 धर्मशालाएँ हैं।

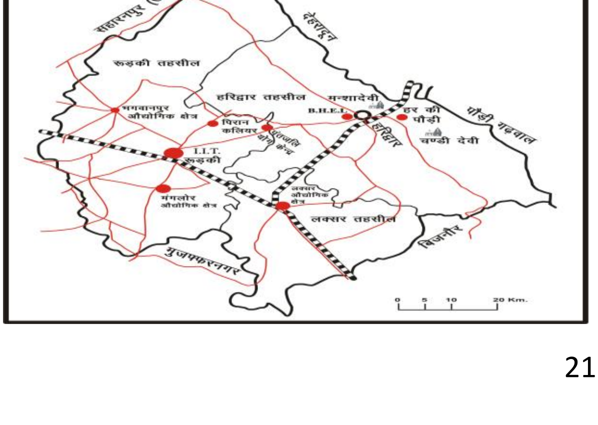

भूमि उपयोग का आर्थिक विकास पर प्रभाव का मूल्यांकनः–अध्ययन क्षेत्र जनपद हरिद्वार में भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तथ्यो (भौतिक व मानवीय) में एक ओर जहॉ भौतिक तत्वों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है वही दूसरी ओर मानवीय पक्ष में यहॉ के भूमि उपयोग को अधिक प्रभावित किया है।

मानव ने यहॉ भूमि के विभिन्न उपयोग को न सिर्फ प्रभावित किया है बल्कि भूमि उपयोग को नियंत्रित भी किया है। इसमें आर्थिक गतिविधियों को भली प्रकार से समझा जा सकता है। जिसमें कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणित्य, व्यापार–यातायात, आय तथा लेन–देन जैसी क्रियाये महत्वपूर्ण प्रभाव डलती है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जनपद हरिद्वार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तीन कारकों कृषि, उद्योग और पर्यटन को प्रस्तुत शोध पत्र में स्थान दिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. **कृषि भूमि उपयोग का आर्थिक विकास पर प्रभाव का मूल्यांकनः–** किसी भी क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रारूप वहॉ की कृषि व्यवस्थाओं एवं आर्थिक तन्त्र पर निर्भर करता है। सर्वेक्षित अध्ययन क्षेत्र हरिद्वार जनपद भी कृषि विकास के इस पक्ष से अछूता नही रहा है। राज्य (उत्तराखण्ड) गठन के वर्ष से ही यहॉ के कृषि विकास का न सिर्फ हरिद्वार जनपद बल्कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के कृषि विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह जनपद कृषि उत्पादन और विकास की दृष्टि से प्रदेश कें ऊधम सिंह नगर जनपद के पश्चात द्वितीय स्थान पर है। उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में से केवल तीन जनपद ही कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। (1) जनपद ऊधम सिंह नगर, (2) जनपद हरिद्वार, (3) देहरादून जनपद। जनपद के कृषकों का आर्थिक विकास कृषि उत्पादित वस्तुओं पर ही आश्रित है। यहॉ के अर्थतन्त्र का प्रभाव कृषि विकास पर स्पष्ट परिलक्षित हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप यहॉ के ग्रामीण समाज की कृषि विकास से आर्थिक सम्पन्नता या समृद्धि हुई है। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका सं0 3 जनपद हरिद्वार में मुख्य फसलें व क्षेत्रफल (2018–19)

क्रम सं0	फसल	क्षेत्रफल (हैक्टे० में)	ऊपज (कुन्तल प्रति है०)
1.	गेहूॅ	43968	34.26
2.	चावल	14127	24.35
3.	मक्का	623	22.78
4.	मसूर	244	5.33
5.	उर्द	168	9.31
6.	गन्ना	70183	7.00
7.	सरसो	1265	9.73
8.	मूंगफली	546	13.76

स्रोतः–जिला सांख्यिकीय पत्रिका हरिद्वार (2012–2020)

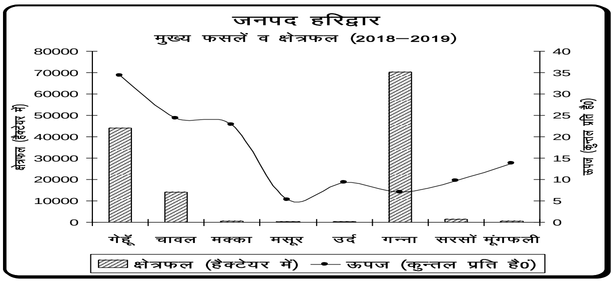

स्रोतः–जिला सांख्यिकीय पत्रिका हरिद्वार (2012–2020)

जनपद के तेजी से बदलते आर्थिक स्वरूप के कारण जनपद के भूमि उपयोग में गत वर्षो में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते है। भूमि उपयोग के यदि केवल एक पहलु **(शुद्ध बोया गया क्षेत्र)** का ही मूल्यांकन किया जाये तो इसमें तेजी से परिवर्तन आ रहा है। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2018–19 के मात्र 12 वर्षो में इसमें लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 2006–07 में जहॉ यह 52.07 प्रतिशत था, वही वर्ष 2018–19 में घटकर 46.75 प्रतिशत रह गया, जो क्षेत्र के कृषि विकास के लिए एक खतरे की घंटी है। यदि इसी प्रकार इसमें गिरावट आती रही, तो यह जनपद के कृषि विकास के लिए उचित संकेत नही है।

तालिका सं0 4 जनपद हरिद्वार में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2006—07 से 2018—19)

क्रम सं0	वर्ष	संख्या	प्रतिशत
1.	2006—07	120350	52.07
2.	2010—11	117988	48.52
3.	2014—15	116082	47.86
4.	2018—19	114077	46.75

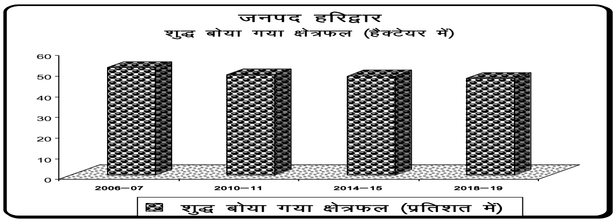

जनपद के शुद्ध बोये गये क्षेत्र में आ रही यह गिरावट राज्य की खाद्यय पूर्ती के लिये अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि एक ओर जहॉ राज्य के कुमाऊँ मण्डल की खाद्यान्न पूर्ती जनपद ऊधम सिंह नगर करता है, तो वही गढवाल मण्डल की खाद्यान्न आपूर्ति की जिम्मेदारी जनपद हरिद्वार पर है।

2. औद्योगिक भूमि उपयोग का आर्थिक विकास पर प्रभाव का मूल्यांकनः— अध्ययन क्षेत्र जनपद हरिद्वार में यद्यपि औद्योगिक विकास का इतिहास नवीन नहीं है, परन्तु राज्य गठन के पश्चात भारत सरकार द्वारा राज्य को विशेष औद्योगिकरण का दर्जा दिये जाने के कारण जनपद के औद्योगिक विकास में आशातीत वृद्धि हुई है। सन् 2000 में उत्तराखण्ड की स्थापना के बाद तत्कालिक भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2003 में उत्तराखण्ड औद्योगिक पैकेज दिया गया था, अगले 10 वर्षो के लिए था। जिसके कारण जनपद में अनेक औद्योगिक समूहों द्वारा अनेको औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई। सिडकुल लगभग 2038 एकड़ भूमि पर फैला है।

जनपद में औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक उत्तराखण्ड राज्य के केवल दो जनपद प्रथम ऊधम सिंह नगर और दूसरा हरिद्वार दोनों ही राज्य का सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र रखते है, यही कारण है कि जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड राज्य का 35 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक क्षेत्र रखता है। राज्य सरकार ने दोनों ही जनपदों के एक बड़े भूभाग को सिड़कुल के रूप में घोषित किया है और उद्योग पतियों को आकृर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मदद भी की है।यद्यपि जनपद में बढ़ते औद्योगीकरण ने न सिर्फ जनपद अपितु राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु फिर इसके द्वारा जनपद कृषि भूमि उपयोग पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जनपद के यदि सामान्य भूमि उपयोग पर दृष्टि डाले तो वर्ष 2006—07 से वर्ष 2018—19 के मध्य जनपद में **"कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि"** के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

जनपद में भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषि के अतिरिक्त कार्यो में संलग्न होता जा रहा है। विगत 10 से 12 वर्षो में ही यह (0.97 प्रतिशत) लगभग 1 प्रतिशत के आस—पास रहा है। और जिसका बड़ा भाग औद्योगिक विकास कार्यो तथा सहयोग देने वाली सड़कों के निर्माण में जा रहा है। जहॉ एक ओर यह औद्योगिक विकास जनपद की अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान रखता है। वही इसके कुछ नकारात्मक पहलु भी सामने आ रहे है। जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा होने वाले प्रदूषण (जल, वायु, ध्वनि) के द्वारा यहॉ के मानव स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव परिलक्षित हो रहे है। औद्योगिक संयन्त्रो से निकलने वाले जहरीले धुऍं निस्सृत जल तथा मशीनों अन्य यन्त्रों से ध्वनि आदि प्रदूषणों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। जिस कारण हरि की नगरी हरिद्वार में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ रही है और स्थानीय जीवन प्रभावित है।

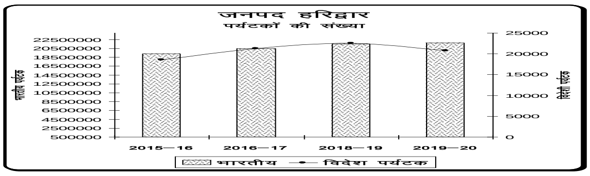

3. पर्यटन का अर्थिक विकास पर प्रभाव का मूल्यांकनः— देवभूमि उत्तराखण्ड के पाद प्रदेश में पतित पावनी मॉ गंगा की गोद में बसी विश्व की प्राचीन नगरी हरिद्वार का पोराणिक काल से ही धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रहा है। जनपद का पर्यटन उद्योग न सिर्फ जनपद यद्यपि समस्त उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रत्येक वर्ष यहॉ न सिर्फ देश के कौने—कौने से बल्कि विदेशों से भी यहॉ के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिये लाखों श्रद्धालु आते है। यदपि हरिद्वार के पर्यटन उद्योग की नीव धार्मिक पर्यटन पर रखी गई थी, परन्तु वर्तमान समय में इसके स्वरूप में दिन प्रति दिन बदलाव होते जा रहे है। यह केवल एक धार्मिक पर्यटन नगरी न

रह कर प्रत्येक प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य गठन के पश्चात से हरिद्वार के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में पंतजलि योग पीठ हरिद्वार का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विश्वस्तर पर 21 जून को योग दिवस मनाये जाने की घोषणा के पश्चात न सिर्फ भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व के लोगों का ध्यान पंतजलि योग पीठ की ओर आकृषित हुआ है। प्रत्येक वर्ष एक बड़ी संख्या में विदेशों से यहॉं योग के उद्देश्य से यहॉं भ्रमण करते है। यदि हम यह कहे की हरिद्वार जनपद के इस योग पीठ ने विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि की है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

तालिका सं0 5 जनपद हरिद्वार में पर्यटकों की संख्या

क्रम सं0	वर्ष	भारतीय	विदेशी पर्यटक
1.	2015–16	19332025	18615
2.	2016–17	20486775	21322
3.	2018–19	21555000	22583
4.	2019–20	21749425	20807

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में प्रतिवर्ष भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019–20 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी का कारण विश्व स्तर पर कोरोना महामारी की दस्तक रही है। यदपि जनपद के आर्थिक विकास में पर्यटन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परन्तु इसका भी दूसरा एक पहलू यह है कि जनपद में दिन प्रति दिन बढ़ रहे नये–नये पर्यटन केन्द्रों की संख्या व यात्रियों की संख्या से जनपद में विभिन्न आश्रमों, होटलों, धर्मशालाओं, सड़क मार्गो, पार्किंग व्यवस्था पर्यटकों के लिये मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराने में जनपद की उपजाऊ कृषि भूमि का बड़ा प्रतिशत इसके अन्तर्गत आता जा रहा है। जो जनपद के कृषि भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भविष्य के लिये चिन्ता का विषय बनता जा रहा है।

ग्रन्थ सूची

1. औद्योगिक भूगोल, डा० राजमल लोढा, मध्यप्रदेश हिन्द्र ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 1990
2. औद्योगिक भूगोल, डा० प्रमिला कुमार, मध्यप्रदेश हिन्द्र ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1987
3. तिवारी आर० सी० एवं सिंह बी० एन०: कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2000, पृ० 21
4. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ हरिद्वार, 1981
5. जिला सांख्यिकीय पत्रिका हरिद्वार जनपद, पृ० 21 2013 से 2018–19 तक
6. जनपद हरिद्वार एक दृष्टि में, 2012–13 से पृ० 21 2018–19 तक
7. जिला उद्योग केन्द्र हरिद्वार
8. जिला पर्यटन विभाग हरिद्वार
9. विभिन्न वेबसाइटों से प्राप्त ऑकड़ें